

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

सं-05/स्था0-146/2007...../

पटना, दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई0मेल

ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

7424

पटना, दिनांक.....21/11/16

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी/ स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

सं-05/स्था0-146/2007...../

पटना, दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई0मेल ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी/ स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञा0-05/स्था0-146/2007

पटना, दिनांक.....21/12/16

प्रतिलिपि:- अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गमन शाखा को उपलब्ध करायें।

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

सं-05 / स्था0-146 / 2007..... /

पटना, दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई0मेल ज्ञा0-05 / स्था0-146 / 2007

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी/ स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञा0-05 / स्था0-146 / 2007

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गमन शाखा को उपलब्ध कराये।

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना